

**वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा**

802 301 (बिहार)

कुलसचिव

पत्रांक:- C/10/14/ES/104/12

दिनांक:- 04/12/2012

सेवा में,

✓ प्रधानाचार्य/निदेशक

बिहार कॉलेज ऑफ एडुकेशन,

गीधा, आरा।

विषय : अस्थायी संबंधन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि संबंधन एवं नवीन पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 28.11.2012 के मद संख्या - 12 पर लिये गये निर्णय के आलोक में गठित Review Committee की अनुशंसा तथा अभिषद् की बैठक दिनांक 01.12.2012 के द्वारा अन्यान्य मद संख्या - 6 पर अनुमोदित किये जाने के उपरान्त बिहार कॉलेज ऑफ एडुकेशन, गीधा, आरा को अस्थायी तब संबंधन एक सत्र 2012-13 के लिए निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान किया गया है:-

- (1) छात्रों के नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय की देख-रेख में आयोजित किया जायेगा एवं आरक्षण संबंधी नियमों का पालन करते हुए छात्रों का चयन का अधिकार कॉलेज का होगा।
- (2) नामांकन प्रक्रिया की जाँच कभी भी विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकती है।
- (3) कॉलेज के द्वारा नामांकन के लिए शुल्क इत्यादि का मदवारपूर्ण विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की रशि बाद में निर्धारित की जायेगी।
- (4) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के नामांकन में माननीय कुलपति महोदय हेतु दो सीटें सुरक्षित रहेंगी जैसे अन्य विषयों में होता है।
- (5) नेशनल कॉन्सिल फॉर टीचर्स एडुकेशन की मान्यता के आलोक में एक सत्र 2012-13 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज का संबंधन किया गया है। परन्तु किसी प्रकार की अनियमितता की पूर्वाप्राप्त होने या पाये जाने पर कॉलेज का संबंधन रद्द किया जा सकता है।
- (6) उक्त कॉलेज को सुरक्षा कोष की रशि 10,00,000 (दस लाख रुपया) जमा करने के बाद पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वामाजु
04/12/12
कुलसचिव
04/12/12

